न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 8/25

उनवानः–

1. अचल सिंह पुत्र नवल सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुसैंडा कला तहसील मनियां जिला धौलपुर।
2. नत्थी लाल पुत्र नवल सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुसैंडा कला तहसील मनियां जिला धौलपुर।

———————————प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी अधीन धारा 129 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः–24.06.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1374 रकवा 0.3414 है0 व 1376 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम कुसैडा कला तहसील मनियां जिला धौलपुर के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.10.2024 को उक्त आराजी की विधिवत रूप से अन्य लोगों की मौजूदगी में पैमाईश जरिये तहसीलदार मनियां करवायी थी। तथा मुस्तकिल निशानात कायम कराए थे, जो आज भी मौजूद है। फसल में आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1374 रकवा 0.3414 है0 व 1376 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम कुसैडा कला तहसील मनियां की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश प्रार्थी के खर्चे पर करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मनियां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मनियां के पत्र दिनांक 23.06.2025 से रिपोर्ट इस आशय की

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्राप्त हुई कि खसरा नम्बर 1374 रकवा 0.3414 है0 व 1376 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम कुसैडा कला तहसील मनियां पर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। आराजी मौके पर खाली बताई है तथा दिनांक 30.09.2024 को पैमाईश किया जाकर मुस्ताकिल निशानात कायम कारवाना बताया है। तथा पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी कराया जाना संभव बताया है।

रिपोर्ट तहसीलदार मनियां पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी के आदेश दिए जाने हेतु कथन किया।

वकील प्रार्थीगण को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका सीमाज्ञान एंव मुस्मकिल निशानात कायम कराना तहसीलदार मनियां द्वारा उनकी रिपोर्ट दिनांक 23.06.2025 में स्वीकार किया है। प्रार्थीगण सीमाज्ञान के अनुसार उनके खर्चे पर पत्थरगढी कराना चाहते है। जिसका उनको पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार मनियां को आराजी खसरा नम्बर 1374 रकवा 0.3414 है0 व 1376 रकबा 0.2403 है0 वाके ग्राम कुसैडा कला तहसील मनियां की प्रार्थीगण के खर्चे पर सीमाज्ञान दिनांक 25.10.2024 अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार मनियां द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग संबधित थानाधिकारी से की जावे। उप पुलिस अधीक्षक मनियां को परवाना जारी हो कि वह तहसीलदार मनियां की मांग पर पत्थरगढी कराये जाने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु संबधित थानाधिकारी को पाबन्द करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी धौलपुर